

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 118/2012/भीलवाड़ा

अपील संख्या - 119/2012/भीलवाड़ा

मैसर्स नरेन्द्र कुमार मुणोत, C/o राजकुमारी मुणोत, 10-N, 13 RC व्यास कॉलोनी, नवजीवन स्कूल के पास भीलवाड़ा (राजस्थान)  
भीलवाड़ा।

....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-द्वितीय, झुन्झुनूं।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के. जी. खत्री

अभिभाषक

श्री आर. के. अजमेरा

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी उदयपुर" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 124/आरएसटी/2006-07 व में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.11.2008 एवं उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी भीलवाड़ा" कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक-उपा/(अपी)/भील/2011-12 आदेश दिनांक 16.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही पक्षकार से संबंधित होने से इनका निष्पादन एक ही आदेश से किया जा रहा हैं। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, चिड़ावा(जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 05.02.2007 को वाहन संख्या आरजे-06-जीए-1744 को वाणिज्यिक कर जांच चौकी पिलोद पर चैक किया गया। वाहन में लदे माल सिरेमिक टाईल्स बाबत वाहन चालक ने नवीन ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी संख्या 042393 दिनांक 25.01.2007 चिमुर्कोटा (आ0प्र0) से अमृतसर (पंजाब) की सिरेमिक टाईल्स 350 बॉक्स वजन 7.840 मेट्रिक टन की तथा संलग्न इन्वॉयस कम डिलीवरी चालान क्रमांक

9020715567 दिनांक 25.01.2007 मै0 एच0 एण्ड आर0 जॉनसन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई द्वारा मै0 रविन्द्र कपूर (कॉन्ट्रेक्टर) अमृतसर (पंजाब) को जारी तथा मैसर्स सेन्तिनी सिरेमिक (प्रा0) लिमिटेड, चिमुरकोटा (आ0प्र0) द्वारा मैसर्स एच0 एण्ड आर0 जॉनसन (इण्डिया) लिमिटेड, मुम्बई से जारी इनवॉयस कम डिलीवरी चालान क्रमांक 8572 दिनांक 25.01.2007 पेश कर वाहन में कुल 35 टन माल लदा होना जाहिर किया। इस प्रकार वाहन में लदे कुल 35 टन माल में से केवल 8 टन माल के संबंध में ही कागजात (बिल-बिल्टी) वक्त जांच पेश किये गये तथा शेष माल निहित दस्तावेजों के बिना करवंचना की नीयत से उचन्ती परिवहनित किया जाकर राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 56 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना प्रकट होने तथा प्रस्तुत बिल्टी संख्या 42393 पर राजस्थान राज्य की किसी भी वाणिज्यिक कर जांच चौकी की मोहर अंकित नहीं पाई जाने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन को निरुद्ध किया जाकर, वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(3) के तहत कर रू0 26,297/- तथा इस पर कर की दुगुनी शास्ति 52,994/- कुल रूपये 78,891/- रूपये अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी, उदयपुर के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी, उदयपुर ने आदेश दिनांक 24.11.2008 द्वारा आरोपित मांग को यथावत रखते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलार्थी द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी भीलवाड़ा के समक्ष पेश करने पर अपीलीय अधिकारी भीलवाड़ा ने क्रमांक-उपा/(अपी.)/भील/2011-12 आदेश दिनांक 16.09.2011 के द्वारा रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अपीलीय अधिकारी, भीलवाड़ा के उक्त रेस्टोरेशन आदेश एवं अपीलीय अधिकारी, उदयपुर के उक्त आदेशों के विरुद्ध, अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपीले प्रस्तुत की गई है।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल वाहन संख्या आरजे-06-जीएच-1401 में लदान कर चिमुरकोटा (आ0प्र0) से अमृतसर (पंजाब) के लिए परिवहनित किया जा रहा था, किन्तु राजस्थान में प्रवेश के पश्चात उक्त वाहन के हॉर्स के फ्यूल पम्प में खराबी हो जाने के कारण

भीलवाड़ा में वाहन संख्या आरजे-06-जीए-1401 के स्थान पर वाहन संख्या आरजे-06-जीए-1744 ट्रॉली से जोड़कर मॉल आगे भेजा गया। वाहन के होर्स बदलने के दौरान माल के संबंध में प्रस्तुत बिल्टी संख्या 042393 दिनांक 25.01.2007 नये होर्स में माल के साथ आ जाना व शेष माल बाबत बिल्टी संख्या 042391 एवं 042392 दिनांक 25.01.2007 मय संलग्न इन्वाइस व पत्रादि वाहन संख्या आरजे-06-जीए-1401 के होर्स की केबिन में ही वाहन चालक की भूलवश छूट गये बताया गया तथा साथ ही बिल्टी संख्या 042391 एवं 042392 दिनांक 25.01.2007 मय संलग्न दस्तावेज पेश की गई। अपीलार्थी ने करवंचना की कोई मंशा नहीं होना जाहिर कर बताया है कि बिल्टी संख्या 042393 के साथ वक्त चैकिंग प्रस्तुत इनवॉइस क्रमांक 9020715567 में तीनों बिल्टियों क्रमशः 42391, 42392 व 42393 का उल्लेख है तदनुसार शेष माल की बिल्टियां प्रस्तुत कर दी गई थी। वाहन की खराबी होने से वाहन में भूलवश दस्तावेज अलग रहने से यह एक मानवीय भूल थी। फिर भी सशक्त अधिकारी ने इन्हे मिथ्या मानते हुए कर व शास्ति आरोपित कर दी। अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। उनका निवेदन था कि अपीलें स्वीकार की जावे। उनका यह भी निवेदन था कि अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश किया उसे भी अपीलीय अधिकारी ने खारिज कर दिया है।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए, अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में वाहन ट्रॉला सं. आरजे06जीए 1744 को चैक किये जाने पर अधिनियम की धारा 76(2)(बी) व धारा 78 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 76(6) व 78(3) के तहत वाहन चालक को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा अपीलार्थी श्री नरेन्द्र मुणोत वाहन मालिक बाद में जवाब के समय पक्षकार बना था। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.02.2007 द्वारा प्रेषक एवं प्रेषिति व मूल विक्रेता का विवरण संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप पाये जाने के कारण धारा 76(6) के सम्बन्ध में प्रकरण समाप्त किया परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों पर राजस्थान राज्य की किसी भी सीमान्त चौकी की मोहर अंकित नहीं होने एवं ट्रांजिट पास नहीं होने के कारण धारा 78(3) के अन्तर्गत वाहन में

लदे माल सिरमिक टाईल्स की कीमत 2,10,375/- रु. पर 12.50 प्रतिशत की दर से राशि रु. 26,297/- कर तथा दुगुनी शास्ति राशि रु. 52,594/- कुल राशि रु. 78,891/- वसूल किये जाने के आदेश दिये गये थे। अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर के समक्ष अपील संख्या 124/2006-07 प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 24.11.2008 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलार्थी श्री नरेन्द्र मुणोत ने इस एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने हेतु रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 16.09.2011 द्वारा खारिज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त दोनों आदेशों दिनांक 24.11.2008 व 16.09.2011 के विरुद्ध दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। अपीलार्थी के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया था कि वह निर्धारित पेशी को इसलिए उपस्थित नहीं हो सका था क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गुजरात छोड़कर नहीं जाने बाबत पाबंद कर रखा था। अपील के मूल निर्णय दिनांक 24.11.2008 में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यह कथन किया गया है कि व्यवसायी के लापता होने के कारण वे रिकार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी युक्तियुक्त कारणों से अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है तथा प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलें आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.11.2008 व 16.09.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपायुक्त (अपील्स) भीलवाड़ा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2017 को उपस्थित हो।

9. निर्णय सुनाया गया।

(नरेश्वराम)  
सदस्य